न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/02

बाबूलाल उर्फ बालू पुत्र माधो आयु 76 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र गोपाल तथाकथित गोदपुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम जाजवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गोपाल पुत्र बजरंग लाल जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. किशन लाल पुत्र बजरंग लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रामलाल पुत्र किशनलाल
   3/2. खुशीराम पुत्र किशन लाल
   3/3. सुगना बेवा किशन लाल
   3/4. द्वारका बाई पुत्री किशन
   3/5. गीता बाई पुत्री किशन जाति माली निवासीगण ग्राम जजावत तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/6. भंवरी पुत्री किशन लाल पत्नी कौशल निवासी ग्राम बीड का झौंपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भंवर लाल पुत्र बजरंग लाल जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. लादी पुत्री भंवर लाल जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी राज हाल पत्नी शोजी जाति माली निवासी ग्राम कालमाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. धापू पुत्री बजरंग लाल पत्नी खाना जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. पारी पत्नी बजरंग लाल जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
8. महेन्द्र गोदपुत्र जगदीश जाति माली निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
9. फूल बाई पत्नी दुर्गालाल जाति माली निवीस ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी
10. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।
12. श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा पत्नी श्री मुकुट बिहारी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से।
3. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 12 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 3924/536 रकबा 60 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादी का हित – निहित है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 9 के नाम दर्ज है । उक्त भूमि में बालू आत्मज माधो का हिस्सा 61/240 मुताबिक जमाबन्दी दर्ज है । प्रतिवादी क्रम 1 बालू के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी को गोद ले लिया था । गोदनामे की रजिस्ट्री दिनांक 29.03.2010 को उप पंजीयक कार्यालय में करवा दी थी । वादग्रस्त आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है पक्षकारान बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदनियति आ गई है जिससे वह अनाधिकृत रूप से बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के उक्त भूमि को बेचान, रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमदा है ।

3. अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी में बालू के हिस्से 61/240 के आधे हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे और कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, साक्ष्य फरीकेन लिये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वाद डिक्री कर ग्राम जजावर की खाता संख्या 82 की आराजी खसरा नम्बर 3924/536 रकबा 60 बीघा में खातेदार बालू पुत्र. माधो हिस्सा 61/240 के आधे हिस्से 61/480 पर वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को खातेदार घोषित कर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में गोदपुत्र के आधार पर दावा पेश किया था । जहॉ गोद के आधार पर क्लेम किया गया हो वहॉ गोद के सम्बन्ध में घोषणा सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है न कि राजस्व न्यायालय द्वारा । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपीलान्ट का गोदपुत्र नहीं है । कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । लोक अदालत में केवल आपसी सहमति एंव बरूए राजीनामा ही निर्णय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों

की सहमति के बिना लोक अदालत में गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था जिनके द्वारा अपीलान्ट को प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होनें पर बुलाने का आश्वासन दिया । इसलिए अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ । अपीलान्ट के वकील साहब ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए अपीलान्ट समय पर अपील पेश नहीं कर सका था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.11.2017 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही तनकीयात कायम किये बिना, साक्ष्य फरीकेन लिये बिना ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत आदेशिका पर अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने तथाकथित रूप से अपीलान्ट का गोदपुत्र बनकर वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के निहित हिस्से में बंटवारा व घोषणा का अनुतोष चाहा है, जबकि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के गोदपुत्र होने का खण्डन किया है । उक्त परिस्थितियों में जहॉ गोद के आधार पर क्लेम किया हो, वहॉ गोद के सम्बन्ध में घोषणा सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है न कि राजस्व न्यायालय द्वारा । रेस्पोडेन्ट कम 1 अपीलान्ट का गोदपुत्र नहीं है । अपीलान्ट अपनी भूमि पर वर्तमान में भी काबिज काश्त है । कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत में केवल आपसी सहमति एवं बरूए राजीनामा ही निर्णय पारित किया जा सकता है । उक्त वाद को पक्षकारान द्वारा कन्टेस्ट किया जा रहा था । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई है तथा उक्त भूमि पैतृक नहीं है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट कम 1 को कभी गोद नहीं लिया उक्त फर्जी गोदनामे की जानकारी मिलते ही अपीलान्ट द्वारा उक्त गोदनामे को निरस्त करने बाबत् एक वाद सिविल न्यायालय में पेश किया । अपीलान्ट के 08 पुत्रियॉ हैं जिन्हें रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है । बिना अपीलान्ट के वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित फर्जी व कूटरचित गोदनामे को बिना साक्ष्य के आधार मानकर वाद डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए लोक अदालत की भावना से वाद वादी डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, विभाजन भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रतिवादी कम 3 व 6 में लम्बित था । उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2017 को लोक अदालत में रखा और उसी दिन दावा वादी डिक्री कर दिया । लोक अदालत में कोई भी पक्षकारान उपस्थित नहीं हुआ और न ही पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा पेश किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणागुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । प्रकरण का निस्तारण पत्रावली प्राप्त होने से अन्दर 06 माह में निस्तारित करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा